उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा का अधिकार भवन

चालंग हिल्स, पो॰ऑ॰–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
वेबसाईटः–urtsc.uk.gov.in, ई–मेलः–ukrtsc@gmail.com

समक्षः– भूपाल सिंह मनराल, आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग देहरादून।

पंजीकरण सं॰ः– C-KL2310200707USN

अपीलकर्ता / शिकायतकर्ताः– श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री जसवंत सिंह, मोहल्ला–पट्टी चौहान, जसपुर, जिला–ऊधम सिंह नगर।

बनाम

प्रतिपक्षीः– पदाभिहित अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला–ऊधम सिंह नगर।

आदेश

उपरोक्त पंजीकृत शिकायत के संदर्भ में आयोग के आदेश दि॰ 21.03.2024 के क्रम में पदाभिहित अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला–ऊधम सिंह नगर के प्रतिनिधि के तौर पर श्री राकेश कुमार सैनी, मुख्य सहायक उपस्थित हुए। शिकायकर्ता श्रीमती राजकुमारी अनुपस्थित रही।

2. श्री राकेश कुमार सैनी, मुख्य सहायक ने पदाभिहित अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला–ऊधम सिंह नगर के पत्र संख्याः 1974 / स॰क॰ / मा॰आ॰सेवा अधि॰–शिकायत / 2023–24, दि॰ 28.03.2024 की प्रति उपलब्ध कराते हुए उत्तर दिया कि श्रीमती राजकुमारी की वृद्धावस्था पेंशन माह जुलाई, 2013 से पेंशन संख्याः OU35090023025700005 द्वारा स्वीकृत की गयी है। उनके कॉरपोरेशन बैंक के खाता संख्याः 163100101000557 में ₹ 1500/– की दर से विभाग द्वारा पेंशन दी जा रही है, बैंक द्वारा बैंक परिवर्तन पश्चात यूनियन बैंक के खाता संख्याः 520101068259812 में दि॰ 25.11.2023 में दि॰ 25.11.2023 को खाता संशोधित करते हुए ₹ 1500/– की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। साक्ष्य स्वरूप ऑनलाईन Pensioner Payment History की प्रति संलग्न की है।

3. उपरोक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा शिकायतकर्ता श्रीमती राजकुमारी को निरंतर वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अतः आयोग द्वारा प्रकरण को निक्षेपित करते हुए पदाभिहित अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला–ऊधम सिंह नगर को निम्न आदेश पारित किये जाते हैंः–

(1) उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय–सीमा के अंदर निस्तारण सुनिश्चित करें।

(2) भविष्य में आयोग के पत्रों का निर्धारित समय–सीमा के अंदर उत्तर दें।

(भूपाल सिंह मनराल)
आयुक्त।

दिनाँकः 28.03.2024।